न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्सर, जिला हरिद्वार

परिवाद संख्या–763 / 2022

कम्प्यूटर नं0– 5368 / 2022

परिवादिनी..... श्रीमती प्रियांशी

बनाम्

विपक्षीगण–..... अवनीत आदि
थाना–को0 लक्सर

दिनांक–07.06.2023,

पत्रावली आज वास्ते आदेश नियत है। पूर्व नियत तिथि पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की तलबी पर बहस सुनी गयी थी।

परिवादिनी प्रियांशी द्वारा परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि परिवादिनी की शादी दिनांक 05.02.2022 को विपक्षी अवनीत से हुई थी जिसमें समस्त दान दहेज आदि में परिवादिनी के पिता ने करीब बीस लाख रूपये खर्च किये थे। विपक्षीगण शादी के समय से ही दिये गये दान दहेज से खुश नहीं हुए और परिवादिनी को कम दहेज लाने के ताने देकर तंग व परेशान करने लगे तथा स्वीफ्ट कार व पच्चीस लाख रूपये की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा दिनांक 02.05.2022 तक दो तीन बार बीच में रहने के लिए अपनी ससुराल गयी तब भी विपक्षीगण ने परिवादिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उक्त दहेज की मांग की तथा रात में ही परिवादिनी को विपक्षीगण ने काडा बनाकर जबरदस्ती पिलाया और कहा कि हमें तो तुझे तलाक कराकर पीछा छुडाना है हमें तो अवनीत की दूसरी शादी करनी है, बच्चा पैदा करके क्या इस घर की मालकिन बनना चाहती है। इस बच्चे को गिरा और इन लोगों ने जबरदस्ती काडा पिलाया और अगले दिन अवनीत बच्चा गिराने की दवाई लेकर आया और कहा कि खा परिवादिनी ने मना किया तो अवनीत ने परिवादिनी की कनपटी पर देशी कटटा लगाकर गंदी गंदी गालियां देते हुए धमकी दी कि जल्दी दवाई खा नहीं तो गोली मारकर तेरी हत्या कर दूंगा। परिवादिनी का पति अवनीत अज्ञात लड़को को घर में लाता और उनके साथ अप्राकृतिक समलैंगिक संबंध बनाता जिसे परिवादिनी ने देखा। दिनांक 02.07.2022 को विपक्षीगण ने उक्त मांग पूरी न होने पर परिवादिनी के गले में चुनरी का फंदा बनाकर गला घोटकर हत्या करने की कोशिश की। तभी इत्तेफाक से परिवादिनी के पिता व चाचा व भाई पहुंच गये और परिवादिनी को बचाया। विपक्षीगण ने उक्त दहेज की मांग करते हुए गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देते हुए परिवादिनी को उसके पिता व चाचा व भाई के साथ पहने कपड़ो में घर से निकाल दिया। अतः परिवादिनी द्वारा प्रार्थना की गयी कि विपक्षीगण को उक्त अपराध में तलब करने की कृपा करें।

परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन मे धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं को व धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत जसवीर सिंह को सी0ड. ब्लू0–1 व सिद्धार्थ को सी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित कराया गया तथा दस्. तावेजी साक्ष्य के रूप में थाना को0 लक्सर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को दिये प्रार्थना पत्र की प्रति आदि पत्रावली पर दाखिल किये गये है।

परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री मौ0 कासिम को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में अपने परिवाद के अधिकांश कथनों का समर्थन किया है। परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में जिन दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, उक्त सभी साक्षियों द्वारा भी विपक्षीगण अवनीत द्वारा परिवादिनी के साथ दहेज की मांग के चलते उसका शारीरिक व मानसिक शोषण करने व उसके साथ मारपीट करने का तथा विपक्षीगण रफल सिंह व बबली द्वारा परिवादिनी के साथ दहेज की मांग के चलते उसका शारीरिक व मानसिक शोषण करने का समर्थन किया गया है। परंतु किसी भी साक्षी द्वारा विपक्षी रजनीश के संबंध में अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कोई कथन नहीं किये गये।

अतः परिवादिनी के तथ्यों एवं प्रेषित किये गये साक्ष्यों के आधार पर तथा परिवादिनी के साथ किये गये व्यवहार एवं घटनाक्रम से विपक्षीगण अवनीत, रफल सिंह व बबली की मामले में प्रत्यक्ष संलिप्तता दर्शित होती है। ऐसे में अभियुक्त अवनीत को धारा–323,498ए भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि ानियम तथा अभियुक्तगण रफल सिंह व बबली को धारा–498ए भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत तलब किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अवनीत को धारा–323,498ए भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा अभियुक्तगण रफल सिंह व बबली को धारा–498ए भा0. दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत तलब किया जाता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन दोनों प्रकार से जारी किये जाये। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे तथा सूची गवाहान प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण दिनांक 21.07.2023 को पेश हो।

(सीमा डुँगराकोटी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
लक्सर, जिला हरिद्वार।